

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ, जिला जयपुर राजस्थान

कल्याण वगै०

बनाम

पूरण वगै०

दमा नं० :- 143/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 16 अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 16 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।	
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.6100 है०, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.3100 है०, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.0100 है०, 299 रकबा 0.7100 है०, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.3000 है०, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.4000 है०, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.7000 है०, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.3000 है० वाकै ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० की स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगणों की ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.6100 है०, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.3100 है०, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.0100 है०, 299 रकबा 0.7100 है०, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.3000 है०, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.4000 है०, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.7000 है०, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.3000 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारागढ जिला-जयपुर

(समचक्र)

(समचक्र)